पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2025 का आपराधिक विविध वाद सं. 16101

थाना कांड संख्या-269 वर्ष-2016 थाना-मनेर जिला-पटना से उत्पन्न

==========

विजय यादव उर्फ विजय कुमार, पुत्र- रामानुज राय, निवासी ग्राम- खासपुर, थाना - मनेर, जिला -पटना।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... विपक्षी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री परशुराम सिंह, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/ओं के लिए : श्री दिनेश सिंह, सहायक लोक अभियोजक

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 147/148/149/353/324/337/307/504*
- *राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8 बी,*
- *भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए)(बी)*

पूर्व-जमानत याचिका– यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा इस आशंका के आधार पर दायर की गई कि उन्हें उस थाना कांड में गिरफ़्तार किया जा सकता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/353/324/337/307/504 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट सात नामजद अभियुक्तों के साथ-साथ सैकड़ों ग्रामीणों के विरुद्ध दर्ज की गई है, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और जब पुलिस दल ने राजमार्ग को खाली कराने का प्रयास किया, तो उन पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को चोटें आईं।

निर्णय– राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करना अन्य नागरिकों के स्वतंत्र और शांतिपूर्ण आवागमन के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। साथ ही, ऐसे रोड ब्लॉकेड आम जनता, विशेषकर आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं वाले यात्रियों को गंभीर असुविधा एवं बाधा पहुँचाते हैं। अतः यह तथ्य स्थापित है कि याचिकाकर्ता ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करके आमजन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, अतः वे पूर्व-जमानत की राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं। (पैरा 6)

यह भी प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को एक सभा के रूप में अवरुद्ध किया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8 बी का उल्लंघन है। अतः याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए)(बी) के तहत अभिव्यक्ति व शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। धारा 8 बी ऐसे किसी भी कृत्य को दंडनीय बनाती है जिससे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो जाए या यात्रा के लिए असुरक्षित हो जाए। (पैरा 6)

इसके अतिरिक्त, केस डायरी में उल्लेखित चोट रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पुलिस कर्मियों को इस घटना में चोटें आई हैं और मामले की जाँच अब भी चल रही है, इसलिए यह न्यायालय याचिकाकर्ता की पूर्व-जमानत याचिका स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। (पैरा 6)

पूर्व-जमानत याचिका निरस्त की जाती है। (पैरा 7)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक आदेश

2 02-04-2025 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए सहायक लोक अभियोजक को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147/148/149 353/324/337 307/504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मनेर थाना मामला संख्या- 269/2016 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता सहित सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सात नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एनएच-30 को अवरुद्ध कर दिया और जब पुलिस पार्टी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 को खाली करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पर हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मियों को चोटें आईं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने कथित अपराध किए हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता ने किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला नहीं किया है, उसका नाम केवल उसे परेशान करने के लिए लिया गया है। उन्होंने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है जिसमें वह जमानत पर है।

5. हालांकि, राज्य के विद्वान एपीपी ने याचिकाकर्ता की नियमित जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अन्य सह-आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को इस माननीय न्यायालय द्वारा सीआर. विविध संख्या 22769/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

6. एफआईआर के अवलोकन से, दिनांक 31.01.2025 के आरोपित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 को अवरूद्ध किया है। यह सर्वविदित तथ्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध करना अन्य नागरिकों के स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करने के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके अलावा, सड़क अवरूद्ध करने से यात्रियों को काफी परेशानी और परेशानी होती है, जिसमें चिकित्सा आपात स्थिति जैसी तत्काल आवश्यकता वाले लोग भी शामिल हैं, इसलिए यह सिद्ध तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 को अवरूद्ध करके आम जनता के स्वतंत्र आवागमन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, इसलिए वे गिरफ्तारी पूर्व जमानत की किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। यह भी प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को सभा के रूप में अवरूद्ध किया गया है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8 बी का उल्लंघन है, और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए)(बी) के तहत उन्मुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। धारा 8 बी उन कृत्यों को दंडित करती है जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रा के लिए दुर्गम या कम सुरक्षित बनाते हैं। इसके अलावा, केस डायरी में उल्लिखित चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि कथित घटना में वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को चोटें आईं और जांच अभी भी चल रही है, इसलिए यह अदालत याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने के लिए इच्छुक नहीं है।

7. तदनुसार, याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायामूर्ति)

सनी कु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।